

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

इसरराम बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण
 किस्म मुकदमा 136 CR मु.नं. 567 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
09/12/25	<p>प्रार्थी ईसर राम पुत्र हरबक्शा राम जाति जाट निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 8 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईशरा पुत्र हरबक्सा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 294 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईशरराम पुत्र हरबक्साराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 392 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईशरराम पुत्र हरबक्सा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि ईसर राम पुत्र हरबक्शा राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईसर राम पुत्र हरबक्शा राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईशरा पुत्र हरबक्सा/ईशरराम पुत्र हरबक्साराम/ईशरराम पुत्र हरबक्सा के स्थान पर ईसर राम पुत्र हरबक्शा राम दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: मू.अ./2025/3 दिनांक 18.10.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 8 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईशरा पुत्र हरबक्सा के स्थान पर ईसर राम पुत्र हरबक्शा राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 294 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईशरराम पुत्र हरबक्साराम के स्थान पर ईसर राम पुत्र हरबक्शा राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 392 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि ईशरराम पुत्र हरबक्सा के स्थान पर ईसर राम पुत्र हरबक्शा राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: मू.अ./2025/3 दिनांक 18.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट्स आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p>



उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला सीकर
 धौद जिला-साकर